



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: aff@shekhauni.ac.in

क्रमांक: ५१२५९

दिनांक: 17/07/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत दिनांक 10.07.2026 को आयोजित निरीक्षण मण्डल (BOI) की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में, निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:-

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (NCTE) द्वारा B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. (4Year Integrated Course) को Integrated Teacher Education Programme (ITEP) में परिवर्तित किए जाने पर उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु NCTE एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से NOC प्राप्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से सत्र 2026-27 की सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार सम्बद्धता आवेदन, सम्बद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क का निर्धारण किया जाता है तथा सत्र 2026-27 हेतु B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता चाहने हेतु विश्वविद्यालय में किए गए आवेदन एवं सम्बद्धता शुल्क का ITEP पाठ्यक्रम की सम्बद्धता शुल्क में समायोजन करने के पश्चात् उपर्युक्त में शेष रहे शुल्क को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने के पश्चात् महाविद्यालय का निरीक्षण करवाया जाकर सम्बद्धता संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है :-

Sr No.	Discipline	Stage (s)	Intake	Duration of the Programme	Affiliation Form Fees	Affiliation Fees	Inspection fees
1	B.A. B.Ed.	Secondary	1 Unit (50 seat per Unit)	4 Year	Rs.1000.00	Rs. 1,60000.00 (per unit of 50 students)	Rs. 15000.00
2	B.Sc. B.Ed.	Secondary	1 Unit (50 seat per Unit)	4 Year		Rs. 1,60000.00 (per unit of 50 students)	

2 जिन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2026-27 हेतु B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता चाहने हेतु विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क के साथ आवेदन किया गया है परन्तु संबंधित महाविद्यालयों को ITEP पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है को विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक प.1() सम्बद्धता-विनियम/2017-18/1688-94 दिनांक 12.04.2018 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार नियमानुसार कटौती करके संबंधित महाविद्यालयों को सम्बद्धता शुल्क महाविद्यालय द्वारा शुल्क लौटाये जाने के आवेदन/प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर सम्बद्धता शुल्क लौटाया जा सकता है।

क्रमांक:- ५१२५०-२५५

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. लेखा एवं वित्त शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सम्बद्धता शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. उपनिदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को लेख है कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

दिनांक: 17/07/2026

कुलसचिव